FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

नवलाराम बनाम भोगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज० आदेश नं. 374/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खियाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/12/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/12/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 27/01/2021 को पेश हो। [initials]	
27/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से [illegible] होकर आगामी दिनांक 19/04/2021 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वार /

19/04/2021 पत्रावली पेश हुई [illegible] परिकीन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021
को पेश हो।

04/08/2021 पत्रावली पेश हुई [illegible] परिकीन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 14/10/2021
को पेश हो।

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व सेढा मेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मेढ व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु प्रार्थी को नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमबंदी [illegible] शुल्क जमा करवाकर करें। पालना [illegible] पत्रावली हो, पत्रावली कोमल कुमार रीडर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो,

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1274 दिनांक : 14/4/21

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. नवलाराम पुत्र मंगनाराम
जाति जाट निवासी बुठसरा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. जोगाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा
जाति जाट निवासी बुठसरा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 374/2020

आदेश

मौजा बुठसरा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 682/308 रकबा 7.3619 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1275 to 79 दिनांक : 14/4/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नवलाराम।
4. विप्रार्थीगण जोगाराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु